राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बजट वर्ष 2012–13

बजट वर्ष 2012–13 के मुख्य बिन्दु

वर्ष 2012–13 का बजट मुख्यमंत्री राजस्थान ने, जोकि प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, विधानसभा में दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रस्तुत किया। यह बजट तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य के एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित वित्तीय मापदण्डों को पूरा करता है। इन मापदण्डों में प्रमुख हैं, राजस्व घाटा नहीं होना, राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से कम होना एवं राज्य के कुल ऋण एवं देनदारियां, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 38.3 प्रतिशत से कम होना। वित्तीय मापदण्डों की दृष्टि से बजट की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार हैं:–

- वर्ष 2012–13, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, हेतु बजट में 33 हजार 141 करोड़ रुपये का उद्व्यय प्रस्तावित किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने राज्य की आगामी वर्ष की वार्षिक योजना 33 हजार 500 करोड़ रुपये की निर्धारित की है, जोकि वर्ष 2011–12 की अनुमोदित योजना से 21.8 प्रतिशत अधिक है।
- चालू वर्ष की वार्षिक योजना बजट अनुमानों में 28 हजार 461 करोड़ 30 लाख रुपये की रखी गई थी तथा संशोधित अनुमानों में योजना का आकार 29 हजार 261 करोड़ 49 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।
- वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों में 352 करोड़ 62 लाख रुपये का राजस्व अधिशेष था, जो संशोधित अनुमानों में 443 करोड़ 24 लाख रुपये का अधिशेष है। वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष 927 करोड़ 61 लाख रुपये है।
- वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों में राज्य का राजकोषीय घाटा 8 हजार 63 करोड़ 47 लाख रुपये था जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 7 हजार 687 करोड़ 43 लाख रुपये रहेगा। वर्ष 2012–13 का राजकोषीय घाटा 8 हजार 650 करोड़ 60 लाख रुपये है।
- चालू वर्ष के बजट अनुमानों में राज्य का राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.19 प्रतिशत था, जोकि संशोधित अनुमानों में 2.09 प्रतिशत रहेगा। वर्ष 2012–13 का राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.14 प्रतिशत रहना अनुमानित है।
- चालू वर्ष के बजट में संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का बजटीय अधिशेष 62 करोड़ 40 लाख रुपये है तथा वर्ष 2012–13 के बजट में बजटीय अधिशेष 396 करोड़ 62 लाख रुपये रहना अनुमानित है।
- आगामी वर्ष के बजट में कुल राजस्व आय 63 हजार 146 करोड़ 83 लाख रुपये रहने की संभावना है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 20.77 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं की कर राजस्व 21 हजार 349 करोड़ 45 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2012–13 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व 26 हजार 832 करोड़ 31 लाख रुपये अनुमानित की गई है जोकि 25.68 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2012–13 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व 6.62 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 8 हजार 315 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.17 प्रतिशत है।
- पूंजीगत परिव्यय के मदों में वर्ष 2012–13 में कुल 9 हजार 689 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जो संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित 8 हजार 268 करोड़ 45 लाख रुपये के प्रावधान से 17.18 प्रतिशत अधिक है।
- हमारे समग्र ऋण चालू वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 29 प्रतिशत रह गये हैं।

बजट में विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों में की गई प्रमुख घोषणायें

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए

- 12 पुलिस जिला मुख्यालयों में 2 वर्षों में नवीन SC तथा ST प्रकोष्ठ की स्थापना।
- कालेज स्तर के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 50 सीटों की क्षमता वाले 10 छात्रावासों का निर्माण।
- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए उदयपुर एवं कोटा में बहुद्देश्यीय छात्रावासों का निर्माण।
- अनुसूचित जाति के छात्रावासों में निवास कर रहे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीडी एवं इंटरनेट के माध्यम से अध्यापन की सुविधा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग की सुविधा।
- प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु अनुसूचित क्षेत्र में 175 माँ–बाड़ी केन्द्रों की स्थापना। इसके अतिरिक्त कथोड़ी बस्तियों में भी 10 माँ–बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र के परिवारों को घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 75 प्रतिशत अनुदान।
- बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम को स्मारक के रूप में विकसित किया जायेगा।
- 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले प्रदेश के 100 संबल गांवों में समग्र विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5 हजार व्यक्तियों को 28 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

कर्मचारियों के लिए

- अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अंतर्गत, एकेडेमिक स्टाफ ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अलवर में नये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
- विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, मदरसा शिक्षा सहयोगी, लोक जुंबिश के शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को देय मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि।
- विराम भत्ते की दरों में संशोधन प्रस्तावित।
- मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि अधिकतम 2 लाख रुपये तक की जाती है।
- राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा योजना के अंतर्गत देय सदस्यता शुल्क समाप्त।
- कर्मचारियों की वर्दी हेतु निर्धारित दरों में वृद्धि।
- नर्सिंग स्टॉफ के मैस भत्ते में वृद्धि।

- दृष्टिहीन एवं विशेष योग्यजनों के सवारी भत्ते में वृद्धि।
- पेंशनर्स को निःशुल्क दवा वितरण में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उपभोक्ता भंडारों को कंप्यूटराइजेशन हेतु 7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

किसानों के लिए

- विभिन्न नई लघु सिंचाई परियोजनायें प्रारंभ की जायेंगी।
- बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में मक्का के हाईब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज–ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- राजफैड के माध्यम से 6 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का अग्रिम भंडारण।
- फार्म पोंड निर्माण पर देय अनुदान राशि 60 हजार एवं डिग्गी निर्माण पर 3 लाख रुपये।
- 2 हजार 200 सौर ऊर्जा आधारित पंप सैट स्थापित करने पर किसानों को अनुदान देने हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अलवर जिले के 40 हैक्टेयर क्षेत्र में हार्टिकल्चर पार्क विकसित किया जायेगा।
- 8 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य। इस हेतु राज्य सरकार सहकारी बैंकों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवायेगी।
- 1 लाख रुपये तक के फसली ऋणों का चुकारा समय पर करने पर संपूर्ण ब्याज राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- 100 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनके कार्यालय एवं गोदाम निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का अनुदान।
- बूँद–बूँद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना हेतु 140 करोड़ रुपये तथा फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पशुपालकों के लिए

- जयपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से पाऊडर मिल्क प्लांट की स्थापना।
- पाली में 25 करोड़ रुपये की लागत से केटल फीड प्लांट की स्थापना।
- पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना। इस पर लगभग 60 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।
- 400 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना तथा 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
- पश्चिमी राजस्थान में 400 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन कर सेवण घास क्षेत्र विकसित किया जायेगा।
- चोटग्रस्त वन्यजीवों के उपचार हेतु उदयपुर, देसूरी–पाली, तालछापर–चूरू, सोरसन–बारां व खेजड़ली–जोधपुर में रेसक्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

उद्योगों के लिए

- टपूकड़ा में 250 एकड़ भूमि, रियायती दर पर रेडिमेड वस्त्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी,
- जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर तथा भीलवाड़ा जिले में माइनिंग सड़कों का निर्माण BOT आधार पर किया जायेगा।
- बीकानेर क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से जिप्सम ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना।
- खुशखेड़ा और टपूकड़ा में 700 एकड़ भूमि में 2 ऑटोजोन बनाये जायेंगे।
- खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना में लघु तथा जोधपुर–पाली–मारवाड़ क्षेत्र में वृहद् नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना।
- राजस्थान वित्त निगम को 10 करोड़ रुपये की अंशपूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी तथा 15 करोड़ 65 लाख रुपये के इक्विटी ऋणों को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा।
- खनिज रक्षा दल का गठन।

युवाओं के लिए

- नवलगढ़ में 3 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान उद्यान विकसित किया जायेगा।
- जोधपुर में कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना।
- बेरोजगार स्नातक युवाओं को 500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता।
- विशेष योग्यजनों को 600 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता।
- राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उच्च वरीयता में आने वाले 10–10 हजार विद्यार्थियों को लैपटाप दिये जायेंगे तथा प्रत्येक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विशेष लैपटॉप उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर 70 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।
- स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इलेक्ट्रोनिक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की स्थापना।

महिलाओं के लिए

- आगामी 2 वर्षों में, टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर पश्चिम, झुंझुनू, धौलपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं करौली में महिला पुलिस थानों की स्थापना।
- सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में 400 महिला एवं 300 शिशु शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी।
- स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के एक–एक ब्लॉक में 'धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र' की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से समूहों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल का विपणन भी किया जायेगा।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि।
- कृषि विषय में अध्ययनरत् छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'महिला हैल्पलाइन' स्थापित की जायेगी जो 24 घंटे चालू रहेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए

- अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में 50–50 सीटों की क्षमता के छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
- उद्यम स्थापित करने वाले अल्प आय वर्ग वालों को बैंक से ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ रुपये की राशि का किराये के पेटे अग्रिम भुगतान।
- मदरसा भवनों की मरम्मत इत्यादि के लिए 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश से बाहर आईआईटी, आईआईएम इत्यादि पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ते का पुनर्भरण।
- हज हाऊस के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

ग्रामीणों के लिए

- कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में 2–2 करोड़ रुपये की लागत से नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- 2 वर्षों में 250 से 500 की आबादी के सामान्य क्षेत्र में आने वाले 2 हजार 900 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना।
- 100 से 300 की आबादी वाली ढाणियों को विद्युतीकृत करने हेतु 1 हजार 356 करोड़ रुपये की 32 पूरक योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जिनके स्वीकृत होने पर 5 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
- 2 वर्षों में 100 से कम आबादी की ढाणियों में 60 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु वितरण निगमों को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का अनुदान।
- 4 हजार 700 गांवों व ढाणियों में डी–फ्लोरीडेशन यूनिट्स लगाना।
- नावां (नागौर) तहसील के 72 गांवों एवं ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 125 करोड़ की योजना।
- ग्रामीण जनभागीदारी योजना हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- 3 हजार 300 विद्यालयों और 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में 15 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से टायलेट्स का निर्माण।
- 3 हजार ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समितियों के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र' के भवनों का 295 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार।
- 43 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से 422 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भवन निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋणों की वसूली नहीं हो पाने के कारण राज्य सरकार द्वारा आवासन संघ को 20 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से Anywhere Banking सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पत्रकारों के लिए

- दौसा, हनुमानगढ़, बूंदी एवं राजसमंद में सूचना केन्द्र के भवनों का 3 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि 2 लाख रुपये तथा प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार वहन करेगी।

सैनिकों के लिए

- सैनिक विश्राम गृह, जयपुर का 2 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार।
- झुंझुनू में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण।
- जोधपुर में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओ की पेंशन में बढ़ोतरी।

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

- स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन तथा चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि।

आम नागरिकों के लिए

- जयपुर तथा जोधपुर में संवेदनशील स्थानों पर 150 सीसी टीवी कैमरे लगाये जायेंगे।
- जिला परिषदों के परिसर में विश्राम स्थलों का निर्माण।
- अजमेर एवं भरतपुर में राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बैंचों की स्थापना तथा 3 करोड़ रुपये की लागत से राज्य उपभोक्ता मंच एवं जिला उपभोक्ता मंच जयपुर के भवन का निर्माण।
- राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल, दालें, साबुन एवं मसालों की बिक्री।
- सभी कलक्टर परिसरों में आम नागरिकों हेतु 25–25 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षा कक्षों की स्थापना की जायेगी।

- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल समस्त सेवाओं हेतु सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये आवेदन भी स्वतः ही इस एक्ट के तहत किये गये आवेदन माने जायेंगे। इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 'राजस्थान लोक सेवा गारंटी आयोग' का गठन किया जायेगा।
- 20 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटराइजेशन।
- विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी।
- जमाबंदी की प्रमाणित प्रति आमजन को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु पटवारियों को डिजिटल सिगनेचर कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 800 नये पटवार मंडलों का सृजन।

वृद्धों के लिए

- प्रत्येक मेडिकल कालेज में जेरियाट्रिक मेडिसन यूनिट्स की स्थापना।
- जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर में वृद्धाश्रम की स्थापना।

विशेष योग्यजनों के लिए

- 8 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को भी, पात्र होने की स्थिति में, 250 रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्त पेंशन
- 5 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल उपलब्ध कराने की योजना।
- कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेंहू उपलब्ध करवाया जायेगा।
- स्वयंसेवी संगठनों को आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराकर प्रत्येक जिले में विशेष योग्यजनों हेतु एक विशेष विद्यालय की स्थापना।

विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए

- देवनारायण योजना हेतु 136 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित।

शिक्षा

- 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलना तथा 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 1 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 16 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर स्थापित किये जायेंगे।
- 16 करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना।
- अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए जोधपुर तथा कोटा में आवासीय विद्यालय की स्थापना।

- 79 ग्राम पंचायतों में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन।
- आगामी 2 वर्षों में, माध्यमिक स्तर के 140 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का लाभ सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के 5 राजकीय महाविद्यालयों, कालाडेरा, चिमनपुरा, खैरवाड़ा, भोपालगढ़ तथा नसीराबाद में बीएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।
- 5 स्नातक महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नयन तथा 10 स्नातक महाविद्यालयों एवं 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
- जयपुर में पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जायेगा।
- अलवर में मत्स्य, भरतपुर में बृज तथा सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना। इस हेतु राज्य सरकार 10–10 एकड़ निःशुल्क भूमि के साथ 5–5 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करायेगी।
- जोधपुर एवं सुमेरपुर–पाली में कृषि महाविद्यालय की स्थापना।
- उदयपुर में राजीव गांधी ट्राईबल यूनिवर्सिटी की स्थापना।
- जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना।
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना।
- सेटकॉम नेटवर्क का उपयोग करते हुए 'मुख्यमंत्री कोचिंग योजना' के माध्यम से अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग कक्षायें 250 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित की जायेंगी।

खेल

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में 10 गुना बढ़ोतरी।
- करौली में कबड्डी अकादमी की स्थापना। इस हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- कोटा में नौकायन अकादमी की स्थापना। इस हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- जैसलमेर में बास्केट बॉल अकादमी की स्थापना। इस हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- बूंदी, चूरू, झुंझुनू, पाली, अलवर, मकराना–नागौर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में खेल संकुल का 16 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा तथा खेल स्टेडियमों के संधारण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान।
- जोधपुर के गोशाला खेल कॉंप्लेक्स में सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण। इस हेतु राज्य सरकार 3 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
- उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी की 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी।
- जोधपुर स्थित फुटबाल अकादमी को 50 लाख रुपये का अनुदान।

रोजगार

- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख युवा बेरोजगारों को लाभान्वित करने हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- RRLP, NRLP, MPOWER योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 300 करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना।
- पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न संवर्गों के 23 हजार पद सृजित किये जायेंगे।
- कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के 750 पदों का सृजन।
- मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना लागू की जायेगी, योजना हेतु 125 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- विशेष दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 75 हजार युवाओं को प्रशिक्षण।
- 130 करोड़ रुपये की लागत से 20 आईटीआई की स्थापना।
- 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।
- उर्दू विषय के 800 शिक्षकों के पदों का सृजन।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अधिकारी एवं कर्मचारियों के 750 पदों का सृजन।
- आगामी दो वर्षों में 10 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी।
- NRHM के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के 21 हजार नियमित पद सृजित किये जायेंगे।
- TSP क्षेत्र हेतु ANM के 1 हजार पद सृजित किये जायेंगे।
- दंत चिकित्सकों के 250 पद सृजित किये जायेंगे।
- मदरसों हेतु 1 हजार कंप्यूटर पैरा–टीचर्स तथा 1 हजार शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी।

पुलिस

- 5 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि।
- पुलिस रेंज मुख्यालयों, जयपुर व जोधपुर के कमीश्नरेट तथा राज्य विशेष शाखा में बम खोजी एवं निस्तारण दस्तों का गठन।
- NCR क्षेत्र में 4 नये थाने खोले जायेंगे।
- पुलिस थानों, उप–अधीक्षक कार्यालयों एवं नवीन पुलिस प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राजस्थान स्टेट पुलिस हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का गठन किया जायेगा।

न्याय

- 7 नये एसीबी न्यायालयों का गठन।
- 5 नये अपर जिला एवं सैशन न्यायालय तथा 8 विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण तथा 5 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना की जायेगी।

परिवहन

- ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ने की दृष्टि से राजस्थान पथ परिवहन निगम के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार 215 करोड़ रुपये की अंशपूंजी देगी तथा निगम को 500 करोड़ रुपये के बॉंड्स जारी करने हेतु राजकीय गारंटी भी दी जायेगी।
- जयपुर एवं भरतपुर में नये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।
- भिवाड़ी–अलवर में नया जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जायेगा।
- अवैध वाहनों के संचालन एवं ओवरलोडिंग पर नियंत्रण करने हेतु Enforcement Wing का गठन किया जायेगा।
- 5 उप–जिला परिवहन कार्यालयों को जिला परिवहन कार्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

सड़कें

- आगामी 2 वर्षों में 750 करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार किलोमीटर लंबाई के राज्यमार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।
- आगामी 2 वर्षों में 2 हजार 600 किलोमीटर लंबाई की मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना।
- आगामी वर्ष 10 ROBs and RUBs का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा।

ऊर्जा

- वर्ष 2012–13 में योजना मद के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र हेतु 12 हजार 726 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आगामी वर्ष, राज्य क्षेत्र में 1 हजार 860 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र में 540 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 11 हजार 590 मेगावाट विद्युत उत्पादन की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति जारी।
- रतलाम से डूंगरपुर–बांसवाड़ा रेल लाइन के निर्माण हेतु राज्य अंशदान के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध करवाई गई।
- आगामी वर्ष 220 केवी एवं 132 केवी के 28 ग्रिड सब–स्टेशनों के कार्य पूर्ण किये जायेंगे तथा 25 नये ग्रिड सब–स्टेशनों का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- आगामी वर्ष 400 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जायेगा।

- भडला–जोधपुर में सोलर पार्क की स्थापना।
- दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित करने की योजना।

जल संसाधन

- आगामी वर्ष योजना मद में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं हेतु 1 हजार 86 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से आगामी वर्ष 3 हजार 700 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगा।
- 2 हजार 334 करोड़ रुपये की परवन वृहद् एवं पेयजल योजना का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।
- 1 हजार 274 करोड़ रुपये की लागत से चंबल नदी के सिंचाई तंत्र की दायीं तथा बांई मुख्य नहर एवं वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य।

पेयजल

- आगामी वर्ष 2 हजार 569 गाँव व ढाणियों, 7 हजार 500 अनुसूचित जाति, 300 अनूसूचित जनजाति एवं 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँवों तथा ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 3 हजार 796 करोड़ रुपये की लागत से 20 पेयजल परियोजनाओं के कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किये जायेंगे।
- JICA के सहयोग से 3 हजार करोड़ रुपये की लागत की नागौर लिफ्ट परियोजना फेज द्वितीय के कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किये जायेंगे।
- 728 करोड़ रुपये की लागत से भीलवाड़ा जिले को चंबल का पानी उपलब्ध करवाने की योजना।
- आगामी वर्ष, 80 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी शहर को चंबल से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्थापित करने का कार्य।
- स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से रिवर्स ओस्मोसिस तकनीक पर आधारित 50 संयंत्रों की स्थापना।

नगरीय विकास

- नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 350 करोड़ रुपये की untied grant का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के 1 लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक परिवार को 50–50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
- शहरी क्षेत्रों में 839 अनुसूचित जाति एवं 40 अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

- Untreated Sewage Water की समस्या के समाधान हेतु जोधपुर में 90 MLD क्षमता के दो STP 90 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जायेंगे।
- कायड विश्राम स्थल–अजमेर में पानी की पाइपलाइन बिछाने एवं अन्य कार्यों पर 5 करोड रुपये खर्च किये जायेंगे।
- 17 जिला मुख्यालयों की द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को नगर परिषदों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 1 हजार 800 करोड़ रुपये की RUIDP के तृतीय चरण की परियोजना का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- विद्युत खपत में कमी करने के उद्देश्य से जयपुर में स्ट्रीट लाइटिंग हेतु एलईडी लाइटों का उपयोग करने की योजना।
- जोधपुर एवं कोटा में 20 करोड़ रुपये की लागत से 73 बसें क्रय कर संचालित की जायेंगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रोगियों हेतु उपलब्ध '108–एंबुलेंस' सुविधा के अंतर्गत 200 नई एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जायेंगी।
- 100 शैय्याओं वाली सभी चिकित्सा संस्थानों में New Born Stabilisation Units की स्थापना।
- जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- राज्य के सभी आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की 'डी–वर्मिंग' करवाई जायेगी।
- लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।
- 1 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले संतानहीन दंपत्तियों द्वारा अनुमोदित फर्टिलिटि क्लिनिक्स में उपचार करवाने पर दवाओं हेतु 20 हजार रुपये तक की राशि का अनुदान।
- 5 जिला मुख्यालयों में 'ए' श्रेणी के यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा महाविद्यालयों में अंडर ग्रेज्युऐट प्रवेश क्षमता में कुल 250 सीटों की वृद्धि।
- संक्रमण रहित ऑपरेशन की सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सामाजिक सुरक्षा

- 13 मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों की स्थापना।
- HIV AIDS से ग्रसित बच्चों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2 किशोर गृहों की स्थापना।
- निराश्रित व्यक्तियों के लिए 'निराश्रित संबल योजना' प्रारंभ की जायेगी।

अन्य

- पारंपरिक लोक कलाकारों हेतु बीमा योजना लागू की जायेगी।
- गंगोत्री धाम में विश्रांति गृह का निर्माण।
- राज्य में राजस्व संबंधी बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु 50 सहायक कलक्टरों के फास्ट ट्रेक न्यायालयों की स्थापना।
- भू–अभिलेख निरीक्षकों को जीपीएस उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 24 नई तहसीलों का सृजन किया जायेगा।
- राज्य के 17 जिलों में नाबार्ड के सहयोग से 988 करोड़ रुपये की लागत की सघन वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की जायेगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग तथा लेखा संधारण में सुविधा हेतु 1–1 कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जायेगा।
- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े डांग एवं मगरा क्षेत्रों की विकास योजनाओं हेतु प्रावधान को बढ़ाकर 20–20 करोड़ रुपये तथा मेवात क्षेत्र हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- Building and Other Construction Workers' Welfare Board में एक वर्ष के अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 30 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में निर्माण अकादमी की स्थापना।
- भाषा एवं अन्य अकादमियों हेतु 7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- ख्यातनाम कलाकारों एवं कला संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- फुलबारी की नाल–उदयपुर, घूमर बावड़ी–उदयपुर तथा शेरगढ़–बारां में 2 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- प्राचीन महत्व के स्मारकों के पुनरुद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सहायता प्राप्त मंदिरों को दी जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि में दुगुनी वृद्धि।
- भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से 'राजस्थान विशेष न्यायालय बिल–2012' इसी सत्र में लाया जायेगा।
- 20 नये तहसील भवनों का निर्माण।
- राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों एवं आवासों के रख–रखाव हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नये जिले स्थापित करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

बजट वर्ष 2012–13 के कर प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

कर दरों में राहत

करों में 225 करोड़ रूपये से अधिक की राहत ।

- **पैट्रोल** पर वैट की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत की गयी।
- 100 सी.सी. से अधिक व 125 सी.सी. इंजन क्षमता तक के **दुपहिया वाहनों** पर लागू एकबारीय कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।
- 125 सी.सी. से अधिक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर लागू एकबारीय कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत की गयी।
- 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के गैर–परिवहन **चार पहिया वाहनों** पर एकबारीय कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की गयी।
- सोलर, **Bio mass** एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के काम में आने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उनके पार्टस् करमुक्त ।
- **Waste Paper** को करमुक्त किया गया।
- **ATM (Automated Teller Machine)** पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी।
- **ऑटो मोबाईल बॉडीज** एवं टोनर पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी।
- टैन्ट, तिरपाल, धूप के चश्मों तथा **हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण** के लिये खरीदे जाने वाले वुड ग्लू पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी।
- **मनोरंजन कर** के दायरे में आने वाली समस्त गतिविधियाँ मनोरंजन कर से मुक्त की गयी।
- बकाया लीज राशि एवं आगामी समस्त वर्षों की **देय लीज राशि** एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में छूट दी जायेगी।
- **उपनिवेशन क्षेत्र** के किसानों को आवंटित भूमि के पेटे बकाया किश्तों को एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज में छूट प्रदान की गयी।

प्रक्रिया का सरलीकरण

- वर्ष 2010–11 की सभी रिटर्न प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रेल, 2012 तक बढ़ाई गयी। इससे उक्त तिथि तक देय कर एवं ब्याज सहित सभी रिटर्न जमा कराने पर व्यवहारी **डीम्ड कर निर्धारण** की श्रेणी में आ जायेंगे।
- आगामी वित्तीय वर्ष से देय कर, ब्याज व लेटफीस के साथ ही रिटर्न स्वीकार किये जाने का प्रावधान किया गया।

- गत वर्ष में 50,000 रूपये से कम वार्षिक कर जमा कराने वाले व्यवहारियों के लिए त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा को 45 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस की गयी।
- त्रैमासिक रिटर्न के समान **वार्षिक रिटर्न** को भी संशोधित कर सकने का प्रावधान किया गया।
- वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया।
- अपील संबंधी स्थगन की समय–सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया।
- निर्धारित अवधि में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, कर निर्धारण के लिये प्रावधान किये गये।
- व्यवहारियों से **PAN** सहित कुछ अन्य सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु नियमों में संशोधन किया गया।
- पंजीयन प्रार्थना–पत्र एवं रिटर्न फार्म संशोधित किये गये।
- घोषणा पत्र **वैट–15** को वैबसाईट के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित।
- 1 लाख रूपये से अधिक वार्षिक कर देने वाले व्यवहारियों के लिये e-payment अनिवार्य करने की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के **कर मुक्ति प्रमाण–पत्र** विभागीय वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन जारी करने की व्यवस्था की गयी।
- वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट की 4 प्रकार की श्रेणियाँ घटाकर 3 की गई।
- सड़क, रेल्वे ट्रेक, डैम, पुल, रनवे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ई.पी.सी. टर्न की **(EPC Turn key)** परियोजनाओं आदि सहित कुल 16 चिन्हित वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट को 1 प्रतिशत मुक्ति शुल्क श्रेणी में रखा गया।
- अन्य सभी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट को 3 प्रतिशत की मुक्ति शुल्क श्रेणी में रखा गया।
- 0.25 प्रतिशत की मुक्ति शुल्क श्रेणी यथावत रखी गयी।
- **सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन** स्कीम को संशोधित करते हुए लेट फीस जमा कराने का प्रावधान किया गया ।
- सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में, वर्तमान कम्पोजिशन स्लेब्स के साथ–साथ, कम्पोजिशन राशि में वार्षिक वृद्धि की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया गया।
- सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में, टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन राशि, प्रति 2 लाख रूपये या उसके भाग पर 500 रूपये निर्धारित की गयी।

- **टैन्ट डीलर्स** कम्पोजिशन स्कीम में भी आगामी वर्षों के लिये कम्पोजिशन राशि प्रति 2 लाख रूपये या उसके भाग पर 500 रूपये, निर्धारित की गयी।
- वैट अधिनियम की **डीम्ड कर निर्धारण** व्यवस्था को आगामी वर्षों से प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियमों के अन्तर्गत भी लागू किया गया।
- राज्य के स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यार्न **(Yarn)** पर 5 प्रतिशत की दर से **प्रवेश कर** लगाया गया व एक्सप्लोसिव **(Explosive)** पर **प्रवेश कर** की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गयी।
- प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को वैट अधिनियम के अनुरूप किया गया।
- प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों की सुविधा के लिए **ई–रिटर्न व ई–पेमेंट** की सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित किया गया।

<u>पंजीयन एवं मुद्रांक</u>

- **''कहीं भी पंजीयन योजना''** को सीमित रूप में जारी रखा गया।
- पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट के आधार पर तत्काल पंजीयन करने का प्रावधान प्रस्तावित।
- जसोल, निम्बाहेड़ा, पोकरण, शिवगंज, तिवरी, फलौदी, सोजत, देसूरी, बाली, नोखा, रामगढ़ (अलवर), नवलगढ़, सुजानगढ़, निवाई, दाँतारामगढ़, नीमकाथाना, मावली, नाथद्वारा, कुचामन सिटी एवं सांचौर के 20 अंशकालिक उप पंजीयक कार्यालयों के स्थान पर नवीन पूर्णकालिक कार्यालयों के सृजन किया जायेगा।
- प्रत्येक पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालय में मौका निरीक्षण, राजस्व वसूली आदि कार्यों के लिये **गिरदावर के 88** नवीन पद सृजित किये जायेंगे।
- वर्तमान में भूमिकर के मामलों में अपील दायर करने के लिये जमा करायी जाने वाली राशि को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया।
- भूमिकर से संबंधित मामलों में रिवीजन के प्रावधानों को समाप्त कर राजस्थान टैक्स बोर्ड में द्वितीय अपील के प्रावधान किये गये।

करापवंचन की सम्भावना को सीमित करने एवं राजस्व बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

- अचल सम्पति से सम्बन्धित **Partnership, Settlement** एवं **Trust** के दस्तावेजों से संबंधित प्रावधानों के क्षेत्र को विस्तृत एवं स्पष्ट करते हुए इन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को संशोधित किया गया।

- अचल सम्पति पर निर्माण, विकास, विक्रय या हस्तान्तरण के लिये प्रमोटर अथवा विकासकर्ता के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी अथवा एग्रीमेंट के दस्तावेजों और इन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों प्रावधानों को संशोधित किया गया।
- **BOT** आदि आधारित परियोजनाओं से संबंधित **Agreement** पर 0.2 प्रतिशत से स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित की गयी।
- रियायती दर पर स्टाम्प ड्यूटी का लाभ बैंकिग कम्पनियों के अमलगमेशन के आदेशों के संबंध में भी दिया गया।
- भूमि के मूल्यांकन की दरें मैट्रिक प्रणाली में निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाये जाने प्रस्तावित।
- **Company** एवं **Partnership Firm** द्वारा कृषि भूमि क्रय किये जाने पर क्रय प्रयोजन एवं जिन शहरों में मास्टर प्लान स्वीकृत है, वहां भूमि के दर्शाये गये प्रयोजन के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि की दर निर्धारित किये जाने के प्रावधान प्रस्तावित।
- खनन प्रयोजनों के लिये आवंटित भूमि की दरें कृषि भूमि से भिन्न निर्धारित करने के साथ–साथ नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या मेगा हाइवे के समीपवर्ती कृषि भूमि के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित।
- सभी प्रकार की भूमि की **डी.एल.सी. दरों में 10** प्रतिशत की वृद्धि की गयी।
- पान मसाला, **तम्बाकू** व तम्बाकू उत्पादों पर वैट की दर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की गयी।
- कर प्रस्तावों से लगभग **300 करोड़** रूपये की अतिरिक्त आय सम्भावित

Salient Features of Tax Proposals of Budget 2012-13

Relief of nearly Rs 225 Crores has been provided in tax.

- Rate of tax on Petrol reduced from 28% to 26%.
- One time Tax reduced on 2 wheelers more that 100 CC and up to 125 CC from 8% to 4%.
- One time Tax reduced on 2 wheelers above 125 CC from 8% to 6%
- One time Tax reduced on 4 wheelers above Rs 10 lac from 10% to 8%
- Tax Exemption on Plants, Machinery and parts used for the Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy such as Solar ,Wind and Biomass
- Exemption of Tax on Waste paper.
- Rate of tax on ATM reduced from 14% to 5%
- Rate of tax on Automobile Bodies & Toners reduced from 14% to 5%
- Rate of tax on Tents, Tirpal, Sun glasses and wood glue used for manufacturing in Handicrafts reduced from 14% to 5%
- All Class of Entertainments exempted from Entertainment Tax.
- Relief in Interest payable on deposition of outstanding dues of Lease money
- Relief in Interest payable on outstanding installments of allotted land in colonization area to farmers

Simplification of Procedures

- Date of submission of VAT returns of the year 2010-11 extended up to 30.04.2012 which will result in deemed assessment of the dealers.
- From next year provisions are proposed that returns will be accepted along with due Tax, interest and late fees.
- Period of filing of quarterly return increased from 45 days to 60 for the dealers who deposited less that Rs 50000 as tax in previous year.
- Provision of amending annual return made.
- Date of submission of Annual return extended by 1 month up to 31st January.
- Period of Stay on demand recovery in appeal cases incresed from 6 months to 1 year.

- Provisions of assessment made on failure of submitting quarterly return.
- Rules amended for getting information like PAN
- Registration application and Return form amended.
- Provision of obtaining Form VAT-15 from website.
- Compulsory e-payment for dealers paying more than Rs 1 lac as tax.
- Facility for online issuance of Exemption Certificate for Works Contract.
- Slabs of Works Contract Tax reduced from four to three slabs
- Works contract relating to Roads, Railway Tracks, Dams, Bridges, Runways, EPC Turn Key Projects awarded by RRVPN will fall in 1% category of Exemption Fees.
- All others works contract will fall in 3% category of Exemption Fees.
- 0.25% category of Exemption Fees will remain same.
- Relief for Gems Stone and Saraffa Dealers under Composition Scheme proposed
- Gems Stone and Saraffa composition scheme -Composition slabs and provision of annual growth of composition amount replaced by new provisions of Rs 500 on a turnover of every Rs 2 lac or part thereof.
- Composition amount revised for dealers of Tent composition scheme.
- Deemed Assessment Scheme for dealers under Luxury Tax & Entry Tax on the lines of VAT.
- Increase in Entry Tax on Explosives from 4% to 10%
- 5% Entry Tax imposed on Yarn for the protection of units situated in the State.
- Some provisions of Luxury Tax and Entry Tax made at par with VAT provisions.
- Facility for online filing of return and e-payment to Dealers under Luxury Tax & Entry Tax.

Stamps and Registration

- Scope of Any Where Registration Scheme limited.
- Provisions for Immediate registration on the basis of advance site report of Patwari.

- Conversion of 20 ex-officio sub registrar offices to full time sub registrar offices.
- Creation of 88 posts of Girdawars in offices of full-time Sub-Registrar offices.
- Reduction in amount required to be deposited before appeal in Land Tax matters from 50% of the tax amount to 25%.
- In Land tax provision of second appeal to Tax Board made in place of revision.

Measures to limit the possibility of Tax evasion and revenue augmentation

- Provision of Stamp duty payable on documents of Partnership settlement and trust of immovable property amended.
- Provision of, Stamp duty payable on documents of Construction, development, sale or transfer for execution of power of attorney or agreement, in favor of a promoter or developer, amended.
- Stamp Duty @ 0.2% on Agreements relating to BOT Projects.
- Benefit of concessional rate of stamp duty applicable to amalgamation of companies extended to for orders of amalgamation of banking companies.
- Steps regarding fixing of rates for valuation of land in Metric system will be taken.
- DLC to consider Master Plan while recommending Market rates.
- DLC to recommend separate rates for valuation of lands purchased by companies and partnership firms.
- Provisions made for valuation of agricultural land allotted for mining purposes and land situated near/on Highways
- Increase in the DLC Rates by 10% on all categories of Land.
- VAT Rate on all types of Tobacco and its products and Panmasala increased from 40 to 50%.
- Additional income of Rs 300 Cr expected from tax proposals.